न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 463 सन 2021
अनवान :-

1. लादुराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. अंकुर पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामप्रताप पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. शारदा पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. जयसिह पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. हनुमान प्रसाद बिजारणिया पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. रामनिवास पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. लिच्छो पुत्री जयसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. सावित्री पुत्री जयसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. मनफुल पुत्र हरजीराम बिजारणिया जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 9/44 की कुल 0.5060हैक्ट व खाता संख्या 10/10 की कुल 0.5060हैक्ट व खाता संख्या 13/14 की कुल 0.5060हैक्ट भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 12/12 की कुल 2.6560हैक्ट व खाता संख्या 60/60 की कुल 1.5180हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वादीगण के मृतक पिता के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 65/63 की कुल 7.5900हैक्ट मे से 589/5060हिस्सा वादीगण के मृतक पिता गिरधारी तथा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है खाता संख्या 18/18 की कुल 2.7820हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 26/26 की कुल 1.9610हैक्ट वादीगण के मृतक पिता गिरधारी व खाता संख्या 160/160 की कुल 12.3970हैक्ट में से वादी संख्या 1 का 247/17710हिस्सा व 4731/123970 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 का एवं 4731/123970 हिस्सा वादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है एवं वादीगण के पिता गिरधारी के नाम 3/98 हिस्सा दर्ज है इसीप्रकार रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 38/39 की कुल 0. 8980हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी के व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 133/131 की कुल 1.8480हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 141 की कुल 0.8860 हैक्ट भूमि शामिल खाते में दर्ज है तथा रोही मोजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 36/35 की कुल 0.506हैक्ट भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी के नाम व रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 19/20 की कुल 1.8340हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक गिरधारी के नाम से दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है रोही मोजा भावलदेसर के खाता संख्या 59/48 की कुल 3.5926हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक गिरधारी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीगण के पिता गिरधारी पुत्र हरजीराम का देहान्त हो चुका है गिरधारी पुत्र हरजीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया एवं पत्नि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो गिरधारी के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादीगण की माता व बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष मं किया हुआ है इसलिये मृतक गिरधारी के नाम दर्ज भूमि के वादीगण अधिकारी है।

वाद भूमि पैतृक सम्पति है जो हरजीराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 4 को प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 4 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ,8 प्रतिवादी संख्या 4, की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 4 ता ,6 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये जयसिह प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ता ,6 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से अपने हक हिस्सा व काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया गया जो वाद की मद संख्या 5 के अनुसार है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 अपने परिवारिक समझौता के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि परिवारिक समझौता के अनुसार दर्ज नही है जिसे दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि व प्रतिवादीगण के साथ हुए परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो गिरारी मनफुल एव जयसिह के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 के के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 ,9 के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरजीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से गिरधारी , जयसिह व मनफुल के नाम से दर्ज हुई है जिसमें से वादीगण के पिता गिरधारी का देहान्त हो चुका है इसलिये वाद भूमि सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,जो मृतक गिरधारी की पुत्री/पत्नि है व वादीगण की बहन /माता है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 जो प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्रीया व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जो शामिल मिसल है एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण के पिता मृतक गिरधारी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,9 के नाम से दर्ज है जो विरासतन से प्राप्त हुई है वादीगण के पिता गिरधारी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है एवं प्रतिवादी संख्या 4 के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है इसप्रकार वाद भूमि के जायज हकदार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो वादी भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादीगण की बहने/माता है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 की बहने है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से काश्त की सुविधि का ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया उसके के अनुसार काश्त करते है अपने बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने इकबाल पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी पुत्र हरजीराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,9 के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है वाद भूमि उनके पर्वूज हरजीराम के देहान्त होने पर अनके पिता गिरधारी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,9 के नाम से दर्ज हुई इसलिये वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की गिरधारी के देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 7 ,8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 , 9 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा/परिवारिक समझौता किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ,9 के मध्य काश्त की सूविधा हेतु बाहमी बटवारा/परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 7 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 18/18 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.7820 है0 भूमि में से प0 नं0 364/375 (26) के किला नं. 20 मिन उत्तर की 0.240 है0 भूमि वादी संख्या 1 लादुराम के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम यथावत रखी जावे तथा रोही मौजा 4 जेएसएन के खाता संख्या 65/63 के कुल खसरे 38 का कुल क्षेत्रफल 7.5900 है0 भूमि में मृतक गिरधारी व प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 अंकुर व 3 रामप्रताप के 1.6319 है0 भूमि ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व वादी संख्या 1 के 0.013 है0 भूमि व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 0.1201 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 4 जेएसएन के खाता संख्या 9/44 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व खाता संख्या 10/10 की 0.506 है0 व खाता संख्या 13/14 की 0.506 है0 में मृतक गिरधारीलाल व प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 हनुमान प्रसाद व प्रतिवादी संख्या 6 रामनिवास को ब0 हि0 ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 4 जेएसएन के खाता संख्या 60/60 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि के 1/6 हिस्सा भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 रामप्रताप को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 4 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.7820 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 363/375 (27) के किला नं. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.227 है0, 17 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0 व प0 नं0 364/375 (26) के किला नं. 20 मिन दक्षिण 0.013 है0, 21 व 22 प्रत्येक की 0.253 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा 20 मिन उत्तर की 0.240 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व खाता संख्या 12/12 के कुल खसरा 13 की कुल 2.656 है0 में वादीगण के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 363/375 (27) के किला नं0 15/1 की 0,025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 15/2 की 0.228 है0 प्रतिवादी संख्या 5, 6 के व प0 नं0 363/375 (27) के किला नं0 6/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.2270 है0, 7 ता 10 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि वादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 तथा प0 नं0 364/375 (26) के किला नं0 के किला नं. 1, 10, 11 व 19 प्रत्येक की 0.2530 है0, 12/2 की 0.1260 है भूमि वादी संख्या 1 के दर्ज की जावे। व 6 जेएनएन के खाता संख्या 160/160 के कुल खसरे 64 की कुल 12.3970 है0 भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के पूर्व में दर्ज भूमि सहित 1.012 है0 भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व शेष 0.9597 है0 भूमि वादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 6 जेएसएन के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 9 की 1.9610 है0 भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारीराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 365/382 (90) के किला नं. 6/2 मिन उत्तर की 0. 013 है0, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक की 0.2530 है0 वादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष प0 नं0 365/382 (90) के किला नं. 6 मिन दक्षिण की 0.215 है0 व 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता व प0 नं0 366/382 (89) के किला नं. 3/2 की 0.1900 है0, 9 व 10 प्रत्येक की 0.2530 है0 वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 5 केएनएन के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गै0 मु0 रास्ता, 15/2 की 0.228 है0 प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के व प0 नं0 363/375 (27) के किला नं0 6/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.2270 है0, 7 ता 10 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि वादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 तथा प0 नं0 364/375 (26) के किला नं0 के किला नं. 1, 10, 11 व 19 प्रत्येक की 0.2530 है0, 12/2 की 0.1260 है भूमि वादी संख्या 1 के दर्ज की जावे। व 6 जेएनएन के खाता संख्या 160/160 के कुल खसरे 64 की कुल 12.3970 है0 भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के पूर्व में दर्ज भूमि सहित 1.012 है0 भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व शेष 0.9597 है0 भूमि वादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 6 जेएसएन के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 9 की 1.9610 है0 भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारीराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 365/382 (90) के किला नं. 6/2 मिन उत्तर की 0.013 है0, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक की 0.2530 है0 वादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा शेष प0 नं0 365/382 (90) के किला नं. 6 मिन दक्षिण की 0. 215 है0 व 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता व प0 नं0 366/382 (89) के किला नं. 3/2 की 0.1900 है0, 9 व 10 प्रत्येक की 0.2530 है0 वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 5 केएनएन के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व 4 केएनएन के खाता संख्या 19/20 के कुल खसरे 8 की 1.8340 है0 भूमि में वादीगण के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही मौजा 5 बी बारानी के खाता संख्या 133/131 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 1.8480 है0 भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 342/395 (66) के किला नं. 15/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 15/2 की 0.1650 है0, 16/1 की 0.227 है0, 16/2 की 0.0260 है0 गै0 मु0 रास्ता प0 नं0 343/395 (67) किला नं. 10 की 0.228 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 मनफूल को खातेदार दर्ज किया जावे व प0 नं0 342/395 (66) के किला नं. 17 की 0.1650 है0 का प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प0 नं0 342/396 (77) की कुल 16/1 की 0.260 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 मिन दक्षिण की 0.214 है0, 17 मिन दक्षिण की 0.240 है0 18 की मिन पूर्व की 0.027 है0 भूमि का वादी संख्या 1 लादुराम के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 342/396 (77) के किला नं. 16/2 मिन उत्तर की 0.013 व 17 मिन उत्तर की 0.013 है0, 18 मिन पश्चिम की 0.226 है0 व 19 की 0.253 है0 भूमि का वादी संख्या 2 व 3 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 38/39 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.8980 है0 भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 342/395 (66) के किला नं. 23/1 की 0.0130 है0, 23/2 मिन पश्चिम की 0.074 है0 वादी संख्या 2, 3 व प0 नं0 342/396 (77) के किला नं. 11 की 0. 253 है0, 20 की 0.253 है0 प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प0 नं0 342/395 (66) के किला नं. 23/2 मिन पूर्व 0.052 है0 व 24 की 0.253 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज की जावे तथा रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 59/48 का कुल क्षेत्रफल 3.5926 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज की जाने की धोषिणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लादुराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2 अंकुर पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3 रामप्रताप पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 लक्ष्मी पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2 शारदा पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3 कलावती पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4 जयसिह पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5 हनुमान प्रसाद बिजारणिया पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
6 रामनिवास पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7 लिच्छो पुत्री जयसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8 सावित्री पुत्री जयसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9 मनफुल पुत्र हरजीराम बिजारणिया जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 463 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 18/18 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.7820 है0 भूमि में से प0 नं0 364/375 (26) के किला नं. 20 मिन उत्तर की 0.240 है0 भूमि वादी संख्या 1 लादुराम के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम यथावत रखी जावे तथा रोही मौजा 4 जेएसएन के खाता संख्या 65/63 के कुल खसरे 38 का कुल क्षेत्रफल 7.5900 है0 भूमि में मृतक गिरधारी व प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 अंकुर व 3 रामप्रताप के 1.6319 है0 भूमि ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे व वादी संख्या 1 के 0.013 है0 भूमि व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को 0.1201 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 4 जेएसएन के खाता संख्या 9/44 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व खाता संख्या 10/10 की 0.506 है0 व खाता संख्या 13/14 की 0.506 है0 में मृतक गिरधारीलाल व प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 हनुमान प्रसाद व प्रतिवादी संख्या 6 रामनिवास को ब0 हि0 ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 4 जेएसएन के खाता संख्या 60/60 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि के 1/6 हिस्सा भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 रामप्रताप को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 4 जेएसएन के खाता संख्या 18/18 के कुल खसरे 12 का कुल क्षेत्रफल 2.7820 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 363/375 (27) के किला नं. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.227 है0, 17 ता 19 प्रत्येक की 0.253 है0 व प0 नं0 364/375 (26) के किला नं. 20 मिन दक्षिण 0.013 है0, 21 व 22 प्रत्येक की 0.253 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा 20 मिन उत्तर की 0.240 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व खाता संख्या 12/12 के कुल खसरा 13 की कुल 2.656 है0 में वादीगण के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 363/375 (27) के किला नं0 15/1 की 0.025 है0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व 3 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे व 4 केएनएन के खाता संख्या 19/20 के कुल खसरे 8 की 1.8340 है० भूमि में वादीगण के मृतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही मौजा 5 बी बारानी के खाता संख्या 133/131 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 1.8480 है० भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 342/395 (66) के किला नं. 15/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 15/2 की 0.1650 है0, 16/1 की 0.227 है0, 16/2 की 0. 0260 है० गै० मु० रास्ता प० नं० 343/395 (67) किला नं. 10 की 0.228 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 मनफूल को खातेदार दर्ज किया जावे व प० नं० 342/395 (66) के किला नं. 17 की 0.1650 है० का प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प० नं० 342/396 (77) की कुल 16/1 की 0.260 है० गै० मु० रास्ता, 16/2 मिन दक्षिण की 0.214 है0, 17 मिन दक्षिण की 0.240 है० 18 की मिन पूर्व की 0.027 है० भूमि का वादी संख्या 1 लादुराम के नाम दर्ज की जावे व प० नं० 342/396 (77) के किला नं. 16/2 मिन उत्तर की 0.013 व 17 मिन उत्तर की 0.013 है0, 18 मिन पश्चिम की 0. 226 है० व 19 की 0.253 है० भूमि का वादी संख्या 2 व 3 के ब० हि० ब० दर्ज की जावे तथा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 38/39 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.8980 है० भूमि वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 342/395 (66) के किला नं. 23/1 की 0.0130 है0, 23/2 मिन पश्चिम की 0.074 है० वादी संख्या 2 ,3 व प० नं० 342/396 (77) के किला नं. 11 की 0.253 है0, 20 की 0. 253 है० प्रतिवादी संख्या 4 जयसिंह को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व प० नं० 342/395 (66) के किला नं. 23/2 मिन पूर्व 0.052 है० व 24 की 0.253 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज की जावे तथा रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 59/48 का कुल क्षेत्रफल 3.5926 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में वादीगण के मृतक पिता गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज की जाने की धोषिणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner